

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(147)नवि/3/2008

जयपुर, दिनांक: 26 APR 2022

सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

सचिव,
नगर विकास न्यास
समस्त।

विषय :- "4th State Broadband Committee" की बैठक के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 28.03.2022 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "4th State Broadband Committee" के संबंध में बैठक की गई। जिसमें इस विभाग द्वारा जारी पॉलिसी दिनांक 06.02.2017 के नियम 8(2) के दूसरे परन्तुक में दी गई प्रक्रिया के अनुसार यदि नियम 5 में दिया गया आवेदन नोडल अधिकारी द्वारा 60 दिवस की अवधि में निस्तारित नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदन के संबंध में अनुमोदन मान लिया जावेगा।

अतः उपरोक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि यदि नोडल अधिकारी द्वारा 60 दिवस की अवधि में आवेदन को निस्तारित नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदन के संबंध में Deemed अनुमति मानी जायेगी।

भवदीय,

—Sc—

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वयत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम